आवश्यक/समयबद्ध/तत्काल

संख्या: 25/2021/1358795/12-2010/5/2021

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई 2021

विषय: खरीफ अभियान 2021 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ अभियान 2021 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नानुसार कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में मण्डलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे के मध्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	संबंधित मण्डल का नाम	गोष्ठी के आयोजन की तिथि	स्थान	समय
1	सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं बरेली	02 जून 2021	मेरठ	पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक
2	लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ एवं झांसी	04 जून 2021	कानपुर	पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक
3	बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ, अयोध्या एवं देवीपाटन	07 जून 2021	अयोध्या	पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक
4	वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं चित्रकूट	08 जून 2021	बांदा	पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक

2. उक्त गोष्ठियों में संबंधित विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिक/विशेषज्ञ तथा सीमित संख्या में प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी व विभागीय अधिकारी अपने-अपने जनपदों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे व सीमित संख्या में प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित करेंगे।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:25/2021/1358795/12-2010/5/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।